न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचौर

(पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
बाबुलाल पुत्र वागाराम जाति विश्नोई निवासी अरणय तहसील सांचौर जिला जालोर राज0		1. लाधुराम पुत्र जोधा 2. चेनाराम पुत्र जोधा 3. बाबुराम पुत्र जोधा 4. जीवाराम पुत्र जोधा 5. गंगाराम पुत्र जोधा 6. शंकराराम पुत्र जोधा 7. तुलछी पत्नी जोधा 8. रघुनाथ पुत्र वागा 9. जबरा पुत्र वागा 10. प्रेमा पुत्र वागा 11. घमण्डा पुत्र फगलु 12. किशना पुत्र मोबता 13. खंगारा पुत्र फगलु जातियान विश्नोई निवासीगण अरणाय तहसील सांचौर जिला जालोर राज0 14. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती करने ईश्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट व धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

दावा नम्बरः— 69/16

उपस्थितिः:—

1. वादी अधिवक्ता श्री गोरधनराम विश्नोई।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 अधिवक्ता श्री रघुवीर पुरोहित
3. प्रतिवादी संख्या 14 राज्य सरकार की ओर तहसीलदार सांचौर राज पैरोकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी-सांचौर जिला जालोर (राज0)

निर्णय

दिनांक 16/1/17

1. दिनांक 7.10.2016 को वादी ने इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट व धारा 88, 188 आटी एक्ट का न्यायालय के समक्ष पेश किया कि ग्राम अरणाय पटवार हल्का अरणाय के खेत खसरा नम्बर 594, 595, 1137, 1138, 1467, 1468, 1469, जुम्ले रकबा 15.59 हैक्टर का आया हुआ है। जो पुराने खसरा नम्बर 202, 398, 504 जुम्ले

सहायक कलैक्टर
सांचौर

रकबा 96 बीघा 7 बीस्वा से नवसृजित है जो की वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी एवं पैतृक आराजी आई हुई है। जो हमारे दादा फगलु पुत्र रामचन्द्र के नाम वक्त प्रथम सेटलमेन्ट के समय से थी हमारे दादा फगलु सन् 1977 में फौत हो गये थे। मेरे दादा फगलु से पहले मोबता फौत हो गये थे। उस समय मोबता का एक पुत्र किशना नाबालिंग था मेरे दादा के फोत होने के छः माह बाद हमारा फौतेदगीका नामान्तरणकरण (म्यूटेशन) नम्बर 274 दिनांक 3.10.1977 को भरा गया हल्का पटवारी द्वारा इस म्यूटेशन में सजरा बनाते हुये हमारा हिस्सा खोला गया मेरे दादा फगलु के पांच पुत्र जोधा, वागा, घमण्डा, मोहबता, खंगारा थे। जिसमें से मोहबता मेरे दादा फगलु के फौत होने से पहले फोत हो गया था, उसका एक नाबालिंग पुत्र किशना था इस प्रकार हमारे पिता व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 व 12 के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 11 व 13 के नाम नामान्तरणकरण उक्त पुश्तैनी आराजी में प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्से का नामान्तरणकरण भरकर राजस्व रेकार्ड में प्रत्येक की 1/5 हिस्से की खातेदारी दर्ज करनी थी, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा ऐसा नही कर हमारा गलत हिस्सा रेकार्ड में खोलते हुये नामातरण करण संख्या 274 में जोधा, वागा, घमण्डा, खंगारा, पिता फगलु का 3/4 हिस्सा व किशना पत्रु मोहबता नाबालिंग इसके वलिया माता पारू पत्नी मोहबता 1/4 हिस्से का नामान्तरणकरण भरकर ग्राम पंचायत अरणाय के सरपंच द्वारा उक्त नामान्तरणकरण दिनांक 03.10.1977 को स्वीकृत करवाकर हलका पटवारी द्वारा विधि विरूद्व रूप से विधी एंव तथ्य की भारी भूल की गई है। जो ऐसा करने का हलका पटवारी को विधि सम्मत अधिकार नही था। उसके बाद वागा पुत्र फगलु के फोत होने पर फौतेदगी नामान्तरणकरण संख्या 238 दिनांक 19.10.2004 को हल्का पटवारी अरणाय द्वारा वागा पुत्र फगलु के बजाय मीरा बैवा वागा, रूघुनाथ, जबरा, प्रेमा, बाबुलाल पुत्र वागा के नाम भरा गया जिसका अपनी उक्त पुश्तैनी आराजी में वागा के 1/5 हिस्से एवं मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करना था परन्तु ऐसा नही कर हलका पटवारी ने विधि विरूद्व रूप से राजस्व रेकार्ड में गलत हिस्सा खोलकर 1/8 हिस्से में नामान्तरणकरण भरकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त कर दिया जो की विधी विरूद्व एवं गलत होने के कारण हमारे पिता वागा की 1/5 हिस्से की आराजी को कम कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कर तथ्य एवं विधी की भारी भूल की है। ऐसा करने का हल्का पटवारी अरणाय को विधि सम्मत अधिकार नही था। हलका पटवारी द्वारा दी गई तथ्य एवं विधी की भूल एवं गलती को सुधार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी के पिता एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 व 12 के पिता तथा प्रतिवादीगण संख्या 11 व 13 प्रत्येक के हिस्से में 1/5 हिस्से के अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है मौके पर कब्जा काश्त 1/5, 1/5 हिस्से के अनुसार है हल्का पटवारी अरणाय द्वारा की गई भूल को सुधार कर हमारे नोश्नल शेयर के अनुसार वादी अपने पिता के हिस्से की आराजी को प्राप्त करने का अधिकारी होने से राजस्व रेकार्ड में सुधार कर इन्द्राज दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी-सांचौर, जिला जालोर (राज.)

सहायक कलैक्टर
सांचौर

2. यह है कि उक्त वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट प्रकरण दर्ज कर दावा नम्बर मूर्तिब किये एंव प्रतिवादीगण को नोटीस जारी किये गये
3. यह है कि बाद तामिल प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 24.03.2017 को इकबालिया जवाब पेश कर वादी द्वारा वाद पत्र में पेश किये गये कथनो को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया तथा वादीगण की इस्तदुआ को भी जवाब में स्वीकार किया तथा प्रत्येक वादी एंव प्रतिवादीगण के 1/5 हिस्से को स्वीकार किया व राजस्थान सरकार की तरफ से तहसीलदार ने दिनांक 16.06.2017 को राजस्व कैम्प अरणाय में अपना जबाव प्रस्तुत कर उक्त वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्यो को साबित करने का भार वादी पर डाल कर वादी दस्तावेजों से अपना हक साबित करे।
4. यह है कि दौराने बहस विद्धवान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को स्वीकार करने का निवेदन किया व फगलु के पांचो पुत्रगण जोधा, वागा, घमण्डा, मोहबता, खंगारा का उक्त आराजी में प्रत्येक का सम्मान रूप से 1/5, 1/5 हिस्से की आराजी को राजस्व रेकार्ड में सुधार कर दर्ज करने का निवेदन किया जिसका प्रतिवदीगण के अधिवक्ता ने व राज पैरोकार ने भी समर्थन किया जिसके पश्चात मेने दोनों पक्षों की बहस सुनी। तथा वाद पत्र, जबाव दावा, समस्त राजस्व रेकार्ड एंव प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया जिसके पश्चात मैं उक्त वाद पत्र बाबत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट व धारा 88,188 आर.टी.एक्ट का स्वीकार करना उचित समझता हूँ। ऐसी सुरत में उक्त वाद पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उक्त वाद पत्र स्वीकार कर यह आदेश दिया जाता है कि ग्राम अरणाय पटवार हल्का अरणाय में वादी एंव प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त एंव खातेदारी खेत खसरा संख्या 594, 595, 1137, 1138, 1467, 1468, 1469, जुम्ले रकबा 15.59 हैक्टर में वादी बाबुलाल व प्रतिवादी रघुनाथ, जबरा, प्रेमा पिसरान वागा का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादीगण लाधुराम, चेनाराम, बाबुराम, जीवाराम, गंगाराम, शंकराराम पिसरान जोधा, तुलछी पत्नी जोधा का 1/5 हिस्सा, घमण्डा पुत्र फगलु का 1/5 हिस्सा, किशना पुत्र मोहबता का 1/5 हिस्सा, खंगारा पुत्र फगलु का 1/5 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। उक्त आदेश की पालना हेतू तहसीलदार सांचौर को एक तहरीर जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16-10-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर (राज०)

16-10-17

M.L. Sharma

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचौर

सहायक कलेक्टर सांचौर